

तारीख क्रम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
9 12 17	<p>इकावली पेश हुई। वकूलाय फरिक्न उप/अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी से /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 04.01.18 को पेश हो। (2)</p>	
12 18	<p>इकावली पेश देने पर पत्रावली आज पेश हुई। अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 29/03/19 को पेश हो। (2)</p>	
3 17	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिक्न उप/अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी से /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 15/04/19 को पेश हो। (2)</p>	
14 19	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिक्न उप/अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी से /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 18/5/19 को पेश हो। (2)</p>	
09 19	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिक्न उप/अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी से /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 23/9/19 को पेश हो। (2)</p>	
23 19	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप./ अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी द्वारा पर/अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 4/12/19 को।</p>	
17/11/19	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय</p>	

तारीख
हुकम

हुकम का पालन करने वाले लघुहस्ताक्षर जज

उपरोक्त जजल प्राथमिक अस्था
निषेधाज्ञा पर उक्त पत्रवाले
रुकी गयी। पत्रवाली पर पत्रवाली
पर उपलब्ध साक्ष्य सिद्ध
का मर्यादा किन्ना खातेदात्री
अधिकारी के धारणा क्रम
बाद में होती है। तब तक
अप्राथमिक से पाबन्द किन्ना
जाग इच्छित है। अतः—

आदेश

विवादित भूमि खण्ड नं०
4322 रकबा 1.51 हे० तन
ग्राम कांस्ट में अप्राथमिक
को ता दौरान बाद अस्था
निषेधाज्ञा से पाबन्द किन्ना
कि प्राथमिक के कल्पे काइत में
मजाहमत नही करे। न दीगर
से करावे। न भूमि का क्षेत्रान को
न प्राथमिक को देखल से रखा
ना ही कब्जा करे। पत्रवाली
ता दौरान बाद फँसल सुनाए
द्येकर नम्बर ले कम से बाद
तकमील दायिमल दायर हो

(श्रीपति सिंह)
JMS